न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 19/2024 ए

1. हरचन्द पिता नंन्दा जी जाति बलाई निवासी राजगढ सिंगाडी तह0 बेगूँ
2. गोपी पिता नन्दा जी जाति बलाई निवासी राजगढ सिंगाडी तह0 बेगूँ
3. दाखी पिता नन्दा जी जाति बलाई निवासी राजगढ सिंगाडी तह0 बेगूँ
4. रामु पिता नन्दा जी जाति बलाई निवासी राजगढ सिंगाडी तह0 बेगूँ
5. प्यारी पिता उदा जी जाति बलाई निवासी राजगढ सिंगाडी तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

वनाम

1. रामा पिता जोधा जी जाति बलाई निवासी राजगढ सिंगाडी तह0 बेगूँ
2. अन्नु पुत्री कन्हैयालाल जी जाति बलाई निवासी राजगढ सिंगाडी तह0 बेगू
3. झमकुबाई पत्नी हजारी जी जाति बलाई निवासी राजगढ सिंगाडी तह0 बेगूँ
4. धन्नीबाई पुत्री हजारी जी जाति बलाई निवासी राजगढ सिंगाडी तह0 बेगूँ
5. भैरूलाल पिता हजारी जी जाति बलाई निवासी राजगढ सिंगाडी तह0 बेगूँ
6. भेरूलाल पिता कन्हैयालाल जी जाति बलाई निवासी राजगढ सिंगाडी तह0 बेगूँ
7. म्मता पुत्री कन्हैयालाल जी जाति बलाई निवासी राजगढ सिंगाडी तह0 बेगूँ
8. श्राजूदेवी पुत्री कन्हैयालाल जी जाति बलाई निवासी राजगढ सिंगाडी तह0 बेगूँ
9. रामचन्द्री पुत्री हजारी जी जाति बलाई निवासी राजगढ सिंगाडी तह0 बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री इफ्तेखार अजमेंरी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश दिनांक ::– 28.11.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि उक्त अनवान प्रकरण मे वादीगण प्रार्थीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इतने ठोस व सत्याधारित है जो अवश्य ही वादी प्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री होगा लेकिन मूल वाद के अंतिम निस्तारण में समय लगेगा तब तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है।

यह कि मौजा ग्राम राजगढ प0ह0 राजगढ तहसील बेगूँ में प्रार्थीगण के पारिवारिक हिस्से व कब्जे काश्त की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी की भूमि संवत 2078 के जमाबंदी में राजस्व रेकार्ड में दर्ज स्थित है जिसका विवरण इस प्रकार से है:–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
54	520	0.0100
	521	0.0400
	965	0.5400
	966	0.3800
	967	0.0700
	कीता–5 कुल रकबा	1.0400 हैक्टर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण का पारिवारिक संजरा निम्न प्रकार है :-

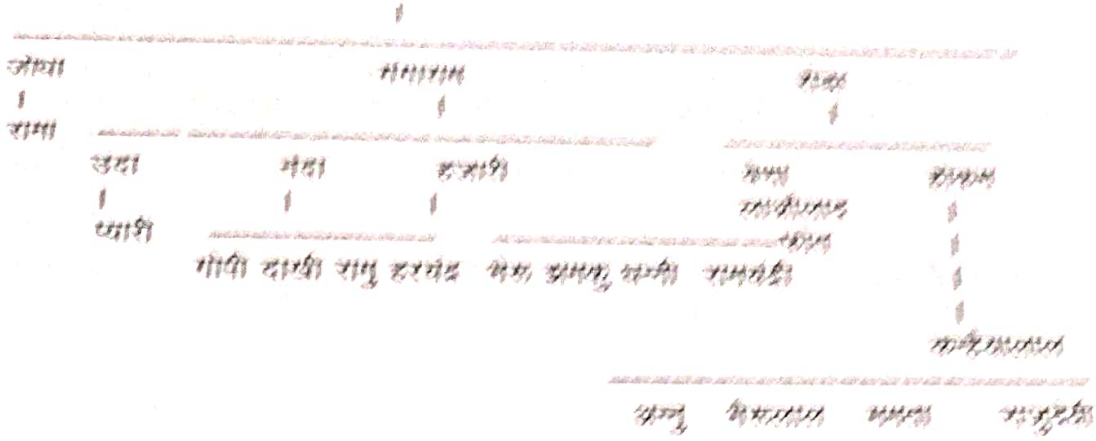

खुमा जी कलाई
|
जोधा — सांगाराम — रेवड़
जोधा | रामा
सांगाराम | उदा — भेरा — हजारी
उदा | प्यारी
भेरा, हजारी | गोपी दाखी रामु हरचंद
रेवड़ | [illegible] — [illegible]
[illegible] | सेवा झमकू सम्मी रामकंवरी
[illegible] | [illegible]
[illegible] | अम्बू [illegible] [illegible] [illegible]

यह कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 2 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में प्रार्थी संख्या 1 का 1/36 हक हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 का 1/36 हक हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का 1/36 हक हिस्सा व प्रार्थी संख्या 4 का 1/36 हक हिस्सा व प्रार्थी संख्या 5 का 1/9 हक हिस्सा निहित होकर प्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्सा भूमि पर निरंतर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है। लेकिन प्रार्थीगण का उक्त वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का उजर दखल नहीं है और किसी अजनबी व्यक्ति (स्ट्रेन्जर परसन) का वर्णित भूमि पर कोई उजर दखल नहीं है और ना ही किसी अजनबी व्यक्ति का कोई हक अधिकार पैदा होता है।

यह कि प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि का मौके व रेकार्ड में अभी तक विधिवत रूप से किसी प्रकार का बंटवाडा नहीं हुआ है और प्रत्येक सहखातेदार का जब तक विधिवत बंटवाडा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक इन्च भूमि पर कानूनन सभी का हक व अधिकार होता है कोई भी व्यक्ति बिना विधिक बंटवाडा करवाये भूमि का बेचान नहीं कर सकता है।

यह कि प्रार्थीगण का विधिक हक अधिकार व कब्जा काश्त होते हुए भी विपक्षीगण संख्या 1 से 9 भूमि को स्ट्रेंजर व्यक्ति को जो परिवार का सदस्य नहीं है उसे विधि विरूद्ध तरीके से बेचान करना चाहते है और दिनांक 20.03.2024 को मौखिक रूप से धमकी दी कि हम तो उक्त भूमि को बिना बंटवाडा कराये हमारी मर्जी होगी उसको बेचान करेंगे और क्रेता को कब्जा सौंप कर रहेंगे। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है।

यह कि यदि विपक्षीगण ने उक्त वर्णित भूमि को बिना विधिवत बंटवाडा कराये अन्य व्यक्ति को रहन बेचान कर कब्जा सोंप दिया तो प्रार्थीगण को भारी हानि हो जायेगी जिसका मूल्यांकन अर्थ में किया जाना भी संभव नहीं होगा तथा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने में कोई हानि नहीं होगी क्यो कि जबकि जब तक विधिवत बंटवाडा नहीं हो जाता है तब तक स्ट्रेंजर व्यक्ति किसी प्रकार से भूमि क्रय नहीं कर सकता और ना ही कब्जा कर सकता है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यह कि विपक्षीगण को बिना बंटवाडा कराये प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि को किसी प्रकार से रहन बेचान हस्तांतरित नहीं किये जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा विपक्षी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विपक्षीगण मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक प्रार्थना पत्र वर्णित उक्त अविभाजित पारिवारिक कृषि आराजीयात का बिना विधिवत बंटवारा करवाये किसी भी प्रकार से किसी भी अजनबी व्यक्ति को एक इंच भूमि रहन बेचान विक्रय आदि तरीके से हस्तांतरित नहीं करें करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, जिन्होने अपनी बहस को प्रार्थना पत्र के अनुसार ही करते हुए विपक्षीगण को उनके हिस्से की भूमि बिना विधिवत बंटवाडा हुए विक्रय नहीं किये जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया गया। पत्रावली में बहस

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

अवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा सुने जाने पर हमारे द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में बहस सुने जाने एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किये जाने के उपरान्त प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 राज0काश्त0अधि0 के निस्तारण हेतु तीन मुख्य बिन्दुओं पर निस्तारण करना होता है जो निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– प्रथम दृष्टया मामला :–

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अवलोकन से पाया कि वर्णित कृषि भूमि मौजा राजगढ प.ह. राजगढ की आराजी संख्या 520, 521, 965, 966, 967 कीता–5 कुल रकबा 1.0400 हैक्टर भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/36 हक हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 का 1/36 हक हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का 1/36 हक हिस्स व प्रार्थी संख्या 4 का 1/36 हक हिस्सा व प्रार्थी संख्या 5 का 1/9 हक हिस्सा निहित होकर प्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्सा भूमि पर निरंतर निर्बाध रूप से काबीज होकर काश्त करने का अंकन अपने प्रार्थना पत्र में किया है। अन्य हिस्सा भी जमाबंदी में विपक्षीगण का अलग अलग अंकित किया हुआ है। वे सभी भी अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में अपने हिस्से की भूमि का बंटवाडा कराये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है। न्याय के सिद्धान्त से कोई भी सहखातेदार जिसका की हिस्सा जमाबंदी में अंकित है में अपने हिस्से की भूमि को विकय करने हेतु स्वतंत्र है, इस पर कोई कानूनन फेगमेन्ट अब लागू नहीं होता हैं। वैसे भी संयुक्त खातेदारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का प्रावधान नहीं है। विपक्षीगण द्वारा भूमि के विकय किये जाने की धमकी 20.03.2024 को किसके सामने दी है इस तथ्य को सिद्ध किये जाने हेतु अन्य सहखातेदारान के कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

2– सुविधा का सन्तुलनः–

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी अनुसार मौजा राजगढ प.ह. राजगढ की आराजी संख्या 520, 521, 965, 966, 967 कीता–5 कुल रकबा 1.0400 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का नाम संयुक्तरूप से दर्ज होकर उनके हिस्से भी जमाबंदी में उनके नाम के आगे दर्ज अंकित किये गये है। तथा सभी सहखातेदारान अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। कानूनन कोई भी सहखातेदार अपने हक हिस्से की भूमि का विकय करने के लिए स्वतंत्र है, तथा सहखातेदारान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नहीं होता हैं।

3– आर्थिक क्षति ::–

मौजा राजगढ प.ह. राजगढ की आराजी संख्या 520, 521, 965, 966, 967 कीता–5 कुल रकवा 1.0400 हैक्टर भूमि जो कि प्रार्थीगगण एवं विपक्षीगण के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज है,नकल जमावंदी के अवलोकन से यह तथ्य सही है कि भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ है किन्तु सभी सहखातेदारान के हिस्से जमाबंदी में दर्शाये हुए है तथा सभी अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काविज होर काश्त कर रहे है, यदि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है तो निश्चित ही विपक्षीगण को ही आर्थिक क्षति होती है, जबकि सहखातेदारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दुओं पर निस्तारण दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार किया जाकर तीनो ही बिन्दुओं को अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में प्रार्थीगण असफल रहे है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(यशस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)धौलपुर